

न्यायालय-सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.कं.-350 / 2005

संस्थित दिनांक-16.06.2005

फाईलिंग क.234503000202005

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-रूपझर

जिला-बालाघाट (म.प्र.)

----- **अभियोजन**

// **विरुद्ध** //

नरेन्द्र उर्फ चान्द्री पिता बिसनलाल मरार, उम्र-32 वर्ष

निवासी-ग्राम पोण्डी, चौकी उकवा, थाना रूपझर,

जिला बालाघाट(म.प्र.)

----- **आरोपी**

// **निर्णय** //

(आज दिनांक-27 / 11 / 2015 को घोषित)

1- आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-457, 380 के तहत आरोप है कि उसने घटना दिनांक-08.03.2005 की दरमियानी रात्रि में थाना रूपझर अंतर्गत प्राथमिक शाला खुमरीटोला में सूर्योदय के पश्चात् व सूर्योदय के पूर्व चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रौ गृह भेदन किया तथा 100 किलो चावल कीमती 700/-रुपये, एक स्टील जग कीमती 70/-रुपये, स्टील ग्लास कीमती 20/-रुपये, आधा लीटर सोयाबीन रिफाईन्ड तेल कीमती 30/-रुपये, नमक एक किलो कीमती 8/-रुपये, मिर्च पैकेट 200 ग्राम कीमती 30/-रुपये, मसाला पैकेट 200 ग्राम कीमती 30/-रुपये, हल्दी 200 ग्राम कीमती 40/-रुपये, इस प्रकार कुल 928/-रुपये अधिकृत व्यक्ति की सहमति के बगैर उसके कब्जे से बेईमानीपूर्वक हटाकर चोरी कारित की।

2- संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि फरियादी तुलसीदास मेश्राम, ग्राम खुमरीटोला पाथरी रहता है तथा प्राथमिक शाला खुमरीटोला में शिक्षक के पद पर पदस्थ है। दिनांक-08.03.2005 को स्कूल में शिवरात्रि की छुट्टी होने से वह अपने घर बालाघाट चला गया था तथा दिनांक-09.03.2005 को सुबह 10:00 बजे स्कूल पहुंचा तो खाना बनाने वाले सादिक लाल धुर्वे ने बताया कि स्कूल में चोरी हो गई है,

तब उसने स्कूल के सामने का ताला टूटा हुआ देखा था, फिर अंदर जाकर देखा तो कमरे में रखा मध्यान्ह भोजन का 100 किलो चावल कीमती 700/-रुपये, एक स्टील जग कीमती 70/-रुपये, स्टील ग्लास कीमती 20/-रुपये, आधा लीटर सोयाबीन रिफाईन्ड तेल कीमती 30/-रुपये, नमक एक किलो कीमती 8/-रुपये, मिर्च पैकेट 200 ग्राम कीमती 30/-रुपये, मसाला पैकेट 200 ग्राम कीमती 30/-रुपये, हल्दी 200 ग्राम कीमती 40/-रुपये नहीं थे, जो किसी अज्ञात चोर ने चोरी कर ले गया है। उक्त घटना की सूचना उसने अपने विभाग के अधिकारियों को दी और उसके बाद फरियादी तुलसीदास मेश्राम ने उक्त घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना रूपझर में आरोपी के विरुद्ध की, जिस पर पुलिस द्वारा अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-45/2005 अंतर्गत धारा-457, 380 पंजीबद्ध करते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान घटना स्थल का मौका नक्शा तैयार कर, विवेचना के दौरान आरोपी नरेन्द्र उर्फ चान्द्री से चोरी का मशरूका मध्यान्ह भोजन का चावल व स्टील का जग, स्टील का गिलास जप्त कर जप्तीपंचनामा तैयार किया गया एवं आरोपी के मेमोरेण्डम कथन लेखबद्ध किये तथा आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3- आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-457, 380 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर आरोपी ने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी का अभियुक्त परीक्षण धारा-313 द.प्र.सं. के तहत किए जाने पर अपने कथन में स्वयं को निर्दोष व झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गई है।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि :-

1. क्या आरोपी ने घटना घटना दिनांक-08.03.2005 की दरमियानी रात्रि में थाना रूपझर अंतर्गत प्राथमिक शाला खुमरीटोला में सूर्योदय के पश्चात् व सूर्योदय के पूर्व चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रौ गृह भेदन किया ?
2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर 100 किलो चावल कीमती 700/-रुपये, एक स्टील जग कीमती 70/-रुपये, स्टील ग्लास कीमती 20/-रुपये, आधा लीटर सोयाबीन रिफाईन्ड तेल कीमती 30/-रुपये,

नमक एक किलो कीमती 8/-रुपये, मिर्च पैकेट 200 ग्राम कीमती 30/-रुपये, मसाला पैकेट 200 ग्राम कीमती 30/-रुपये, हल्दी 200 ग्राम कीमती 40/-रुपये, इस प्रकार कुल 928/-रुपये अधिकृत व्यक्ति की सहमति के बगैर उसके कब्जे से बेईमानीपूर्वक हटाकर चोरी कारित की ?

विचारणीय बिन्दु क.-1 व 2 पर सकारण निष्कर्ष:-

5— तुलसीदास मेश्राम (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। घटना वर्ष 2005 की है, शासकीय प्राथमिक स्कूल खुमरीटोला में अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की गई थी। चोर ने आधा बोरा चावल और खाना बनाने की गंजी बर्तन, प्लेट, ग्लास और जग चुराकर ले गए थे। सोमवार को शिवरात्रि की छुट्टी होने से वह मंगलवार को स्कूल पहुंचा तो देखा कि स्कूल का ताला टूटा हुआ था और जब उसने अंदर जाकर देखा तो उसमें उक्त सामान की चोरी हो चुकी हो चुकी थी, जिसकी रिपोर्ट उसने थाना रूपझर में की थी, जो प्रदर्श पी-1 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने पुलिस को घटनास्थल के बारे में बताया था, जिसके आधार पर मौकानक्शा प्रदर्श पी-2 बनाया गया, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। अज्ञात चोरों ने लगभग चार सौ रुपये का सामान चोरी कर ले गए थे।

6— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि मौकानक्शा थाने में ही बनाया गया था और चोरी किसने किया था, वह नहीं जानता। साक्षी ने चोरी गए कथित चावल की मात्रा के संबंध में भी परस्पर विरोधाभासी कथन किये हैं। यद्यपि साक्षी ने अपनी साक्ष्य में इस तथ्य की पुष्टि की है कि शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम खुमरीटोला से अज्ञात चोरों के द्वारा चावल और बर्तन आदि चोरी किये थे, जिसकी रिपोर्ट उसने लेख कराई थी।

7— सादिक (अ.सा.2) ने भी अपनी साक्ष्य में बताया था कि वह आरोपी को नहीं जानता, फरियादी को जानता है। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने यह स्वीकार किया है कि वह घटना के समय शाला में मध्यान्ह भोजन बनाता था और जब घटना दिनांक की अगली सुबह स्कूल गया, तो उसने स्कूल के सामने का दरवाजा टूटा हुआ देखा और चावल, मिर्ची, मसाला व बर्तन आदि नहीं पाए थे, तो उसने फरियादी तुलसीदास मेश्राम को बताया था कि साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि चोरी किसने की उसे नहीं

मालूम। साक्षी ने स्वतः कथन किया है कि 50 किलो चावल चोरी गया था। इस प्रकार साक्षी ने घटना के समय स्कूल से चावल व बर्तन आदि की चोरी होने की पुष्टि अपनी साक्ष्य में की है।

8— राजेश कुमार (अ.सा.5) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक—08.03.2005 को हाईस्कूल पाथरी में शिक्षक के पद पर पदस्थ था, उस समय मेश्राम प्राथमिक शाला खुमरीटोला में शिक्षक के पद पर पदस्थ था। शिक्षक मेश्राम के द्वारा प्राथमिक शाला खुमरीटोला में चोरी की सूचना दी गई थी, उन्होंने बताया था कि मध्याह्न भोजन का चावल और अन्य सामग्री चोरी हुई है। उक्त साक्षी ने भी घटना के समय चोरी होने की पुष्टि की है।

9— सुभाषचंद (अ.सा.3) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक—11.03.2005 को थाना रूपझर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। इसी दिनांक को प्रार्थी तुलसीदास मेश्राम द्वारा अपराध क्रमांक—45/05, धारा—457, 380 भा. द.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाया था, जो उसके बताए अनुसार लेख की थी, जो प्रदर्श पी—1 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि उसने घटना के दो दिन बाद अज्ञात के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की थी।

10— मन्नुलाल (अ.सा.4) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं जानता। आरोपी ने उसके समक्ष पुलिस को कोई कथन नहीं दिए थे। मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी—2 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके सामने आरोपी से कोई जप्ती नहीं की थी। जप्तीपत्रक प्रदर्श पी—3 पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके सामने आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया था। गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी—4 पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस सुझाव से इंकार किया कि आरोपी नरेन्द्र ने मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी—2 के अनुसार उसके सामने पुलिस को उक्त चोरी करने के बारे में जानकारी देते हुए चोरी किये गए सामान को खर्च करना और बचे हुए सामान में से 5 किलो चावल व बर्तन को उसके घर से बरामद करा देना बताया था। साक्षी ने आरोपी से जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी—3 के अनुसार जप्ती कार्यवाही एवं आरोपी की गिरफ्तारी से भी इंकार किया है। साक्षी ने जप्ती अधिकारी की किसी भी कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है।

11— फागूलाल (अ.सा.6) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं जानता। आरोपी ने पुलिस को उसके समक्ष कोई बयान नहीं दिया था। मेमोरेण्डम प्रदर्श पी-2 पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी से कोई जप्ती नहीं की थी। जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-3 पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस सुझाव से इंकार किया कि आरोपी नरेन्द्र ने मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-2 के अनुसार उसके सामने पुलिस को उक्त चोरी करने के बारे में जानकारी देते हुए चोरी किये गए सामान को खर्च करना और बचे हुए सामान में से 5 किलो चावल व बर्तन को उसके घर से बरामद करा देना बताया था। साक्षी ने आरोपी से जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-3 के अनुसार जप्ती कार्यवाही एवं आरोपी की गिरफ्तारी से भी इंकार किया है। साक्षी ने जप्ती अधिकारी की किसी भी कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है।

12— अनुसंधानकर्ता अधिकारी बी.डी. वीरा (अ.सा.7) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-11.03.05 को थाना रूपझर में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को तुलसीदास की मौखिक रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक-45/05, धारा-457, 380 भा.द.वि. के तहत प्रधान आरक्षक सुभाष सिंह क्रमांक-141 के द्वारा लेख की गई थी, जो प्रदर्श पी-1 है, जिस पर प्रधान आरक्षक सुभाष सिंह के हस्ताक्षर हैं। उक्त हस्ताक्षर को प्रधान आरक्षक सुभाष सिंह उसके अधिनस्थ कार्य करने के कारण पहचानता हूं। उक्त अपराध क्रमांक की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर विवेचना के दौरान उसके द्वारा फरियादी तुलसीदास की निशानदेही पर घटनास्थल का नजरीनक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही प्रार्थी तुलसीदास, साक्षी राजेश कुमार, सादिक के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया था।

13— उक्त साक्षी का यह भी कथन है कि उसने दिनांक-03.05.05 को आरोपी नरेन्द्र उर्फ चान्द्री को अपनी अभिरक्षा में लेकर साक्षियों के समक्ष पूछताछ किया। पूछताछ पर नरेन्द्र उर्फ चान्द्री ने प्रदर्श पी-2 का मेमोरेण्डम कथन दिया था, जिसमें उसने बताया था कि आज से करीब डेढ़-दो माह पहले ग्राम खुमरीटोला (पाथरी) से स्कूल का ताला तोड़कर चावल, स्टील का जग, स्टील का गिलास, तेल, नमक, मिर्ची, हल्दी, मसाला चुराकर अपनी साईकिल पर लेकर गया था, जिसमें चावल, तेल, नमक,

मिर्ची, हल्दी मसाला मैंने खा-पीकर खर्च कर दिया हूँ। मेरे पास कुछ सामग्री बची है। फिर पांच किलो चावल, एक स्टील का जग, स्टील का गिलास मेरे पास पड़ा है, जो मैंने अपने घर में छिपा कर रखा हूँ, चलो चल कर बरामद करा देता हूँ का कथन दिया था। प्रदर्श पी-2 के मेमोरेण्डम कथन पर उसके हस्ताक्षर एवं आरोपी नरेन्द्र के हस्ताक्षर लिये थे।

14— उक्त साक्षी का यह भी कथन है कि उसने उक्त दिनांक को ही गवाहों के समक्ष आरोपी नरेन्द्र द्वारा अपने मकान से सामग्री निकालकर देने पर जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-3 अनुसार एक प्लास्टिक की बोरी में करीब पांच किलो चावल, एक स्टील का जग, एक स्टील का गिलास जप्त किया था, जिस पर उसके एवं आरोपी नरेन्द्र के हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही साक्षियों के समक्ष आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-4 तैयार किया था जिस पर उसके एवं आरोपी के हस्ताक्षर लिये थे। आरोपी के विरुद्ध अपराध सिद्ध पाए जाने पर माननीय न्यायालय समक्ष चालान पेश किया था।

15— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि जप्ती वाले स्थान के आसपास साक्षीगण नहीं थे, बल्कि वह साक्षीगण को हमराह अपने साथ ले गया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि साक्षियों को हमराह लिया जाता है तो रोजनामचा सान्हा चालान के साथ संलग्न किया जाता है, चूंकि प्रकरण में ऐसा रोजनामचा सान्हा संलग्न नहीं किया गया है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि जप्तशुदा चावल जग व गिलास सामान्यतः बाजार में मिलते हैं। इस प्रकार साक्षी ने अनुसंधानकर्ता अधिकारी के रूप में मामलों में मेमोरेण्डम व जप्ती की कार्यवाही किये जाने के पूर्व रोजनामचा सान्हा रवानगी व वापसी का लेख किया जाना नहीं बताया और न ही उसे प्रकरण में पेश किया है। ऐसी दशा में हमराह साक्षीगण का मौके पर कार्यवाही के समय साथ में लेकर जाना संदेहास्पद प्रकट होता है, विशेषकर जबकि उक्त स्वतंत्र साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में जप्ती अधिकारी की किसी भी कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है।

16— जप्ती अधिकारी की कार्यवाही का किसी भी अन्य साक्षी व पंच साक्षीगण से समर्थन प्राप्त नहीं होता है। इसके अलावा अनुसंधान के दौरान कथित जप्ती में प्राप्त सामग्री को फरियादी से शिनाख्ती भी नहीं कराई गई है। जप्ती अधिकारी बी.डी. वीरा (अ.सा.7) ने अपने प्रतिपरीक्षण में जप्तशुदा सामान बाजार में आसानी से मिलना स्वीकार

किया है, तब उक्त सामान की पहचान फरियादी या स्कूल से संबंधित व्यक्ति से जो उक्त सामान की गुणवत्ता या रंगरूप देखकर स्कूल की होना तस्दीक कर सकता था, उसके माध्यम से शिनाख्ती की कार्यवाही न कराकर अनुसंधानकर्ता अधिकारी ने तात्विक त्रुटि कारित की है, जिसका लाभ बचाव पक्ष को प्राप्त होता है। आरोपी को किसी भी व्यक्ति के द्वारा कथित चोरी करते हुए या स्कूल में घटना की रात को प्रवेश करते हुए नहीं देखा गया है। ऐसी दशा में उसके विरुद्ध की गई अपुष्ट मेमोरेण्डम व जप्ती की कार्यवाही व त्रुटिपूर्ण अनुसंधान कार्यवाही के आधार पर अभियोजन का मामला पूर्णतः संदेहास्पद प्रकट होता है।

17— आरोपी से जप्ती की कार्यवाही संदेह से परे प्रमाणित न होने से यह उपधारणा नहीं की जा सकती कि आरोपी ने ही फरियादी के आधिपत्य के सामान की चोरी की है तथा यह उपधारणा भी नहीं की जा सकती कि आरोपी ने फरियादी के स्कूल में सूर्योदय के पश्चात् व सूर्योदय के पूर्व चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रौ गृह भेदन किया।

18— उपरोक्त संपूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं किया है कि आरोपी ने घटना के समय प्राथमिक शाला खुमरीटोला में सूर्योदय के पश्चात् व सूर्योदय के पूर्व चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रौ गृह भेदन किया तथा चावल, एक स्टील जग, स्टील ग्सास, सोयाबीन रिफाईन्ड तेल, नमक एक किलो, मिर्च, मसाला व हल्दी 200 ग्राम कीमती कुल 928/—रुपये की अधिकृत व्यक्ति की सहमति के बगैर उसके कब्जे से बेईमानीपूर्वक हटाकर चोरी की। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-457, 380 के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

19— आरोपी प्रकरण में दिनांक-03.05.2005 से आज दिनांक-27.05.2005 तक, दिनांक-29.11.2009 से दिनांक-30.11.2009 तक, दिनांक-28.05.2013 से दिनांक-03.06.2013 तक, दिनांक-14.11.2015 से दिनांक-27.11.2015 तक न्यायिक अभिरक्षा में रहा है। आरोपी के द्वारा प्रकरण में व्यतीत की गई न्यायिक अभिरक्षा के संबंध में धारा-428 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पृथक से प्रमाणपत्र संलग्न किया जाये।

20— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति प्लास्टिक की बोरी में 5 किलो चावल, एक स्टील का जग, एक स्टील का गिलास मूल्यहीन होने से विधिवत् नष्ट की जावे अथवा अपील होने के दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया। मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट